न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 09/2019

प्रार्थी

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह
   जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत जेठन्तरी
   जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जेठन्तरी पंचायत समिति व तहसील समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28.09.20

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम जेठन्तरी पटवार क्षेत्र जेठन्तरी तहसील समदडी में खेत खसरा नम्बर 915/821 रकबा 5–01 बीघा की आई हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी खातेदारी खसरा नम्बर 915/821 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी के खसरा नम्बर 780 रकबा 18–5 बीघा में से होते हुए उपयोग किया जाता है। इस मार्ग का प्रार्थी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। प्रार्थी के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 915/821 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 780 में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

भूमि धारक तहसीलदार समदडी से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार समदडी ने अपनी रिर्पोट कमांक 548 दिनांक 11.12.2019 पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 780 में श्मशान भूमि के लिये प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, इसी खसरा की भूमि में से प्रार्थी द्वारा द्वारा चाहा गया वरंग लाल मार्क किया गया है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 915/821 तक पहुंचने हेतु उपरोक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिसकी दूरी 12 x 875 फीट की है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह चम्पावत से बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार समदडी की मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार समदडी की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित "कटान रास्ता" ही सबसे नजदीकी विकल्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.05 16:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विलक्प नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा जेठन्तरी के खेत खसरा नम्बर 915/821 के आवागमन हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 780 में से "वरंग लाल प्रस्तावित" रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिर्पोट कमांक 548 दिनांक 11.12.2019 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "लाल रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 915/821 ग्राम जेठन्तरी में आने-जाने हेतु विप्राथी की खातेदारी खसरा नम्बर 870 में से 12 x 875 फीट वरंग "लाल" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत वताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार समदडी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार समदडी को प्रस्तुत की जावेगी, तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.05 16:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/20 को खुले न्यायालय, मजमेआम में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.11.05 16:42:27 IST
Reason: SelfAttested